न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूलसिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर :– 01/2018

(आरसीएमएस नम्बर :– 2018/00001)

उनवान प्रकरण

चरनसिंह पुत्र दौलतराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम तसीमॉ तहसील तहसील सैपऊ जिला धौलपुर .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर .....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 04.01.2018
मु0नं0 648/2017 सरकार बनाम चरनसिंह
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 24.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को ग्राम तसीमॉ के आराजी खसरा नम्बर 1980/3 रकवा 06 विस्वा किस्म वारानी अलिफ में से 04 विस्वा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुये अपीलान्ट को विवादित आराजी से बेदखली बावत नोटिस दिये बिना अपीलान्ट के विरूद्व बिना विधिक प्रकिया अपनाये अनुचित रूप से दिनांक 4.1.2018 को अपीलान्ट के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करने करने के आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

समुचित अवसर प्रदान नहीं किया दिनांक 4.1.2018 को अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में बकालतनामा पेश किया था उक्त प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत आदेश पारित न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना रवैया अपना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है तथा काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का विधिवत निस्तारण किये बिना समस्त कानून को ताक पर रखकर विधिक प्रकिया अपनाये बिना अपीलान्ट के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की जो समुचित जॉच पडताल किये बिना राजनैतिक दबाव में आकर न्यायिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्रारम्भ से ही अवैध शून्य है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया एंव प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का विधिवत निस्तारण किये बिना समस्त कानून को ताक पर रखकर विधिक प्रकिया अपनाये बिना अपीलान्ट के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल खारिजी के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित राजकीय आराजी पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है वह उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया तथा अतिक्रमण हटाने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया परन्तु अतिकमी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर धारा 91(6) की जो कार्यवाही की गई है वह उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.01.2018 में अतिकमी द्वारा नोटिस का जबाव पेश करने हेतु समय दिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है इससे यह

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया। प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि जिस व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित होना है उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर मिलना चाहिऐ। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार अपने आदेश दिनांक 04.01.2018 की पालना से पूर्व अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर एक माह में उचित निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। अपीलान्ट तहसीलदार के समक्ष दिनांक 5.9.2018 को उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner